न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : [illegible] 01/2017 लक्ष्मण बनाम मनोज गुप्ता वगै.

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.6.18	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। परिवादी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को रू 10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति से दण्डित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28.6.18 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर EXECUTIVE OFFICER (Addl. District Magistrate Judl.) JAIPUR	[illegible] 2076 / 11-7-2018

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 01/2017

सरकार जरिये आलोक टांक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. मनोज गुप्ता, पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता, मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण, टिगरिया रोड़, अम्बेडकर छात्रावास के सामने, चाकसू जयपुर, निवासी– वार्ड नं0 06 तहसील के पीछे, चाकसू, जिला जयपुर।
2. मोहनलाल गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता, (प्रोपराईटर) मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण, टिगरिया रोड़, अम्बेडकर छात्रावास के सामने, चाकसू जयपुर, निवासी– वार्ड नं0 06 तहसील के पीछे, चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 58 सपठित धारा 49 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 बाबत् कोड व क्रमांकः AN-1015)

उपस्थितिः–
1. श्री आलोक टांक, पेरोकार सरकार।
2. श्री मनीष शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 28.06.2018**

प्रार्थी श्री आलोक टांक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 11.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के साथ पुलिस थाना चाकसू दक्षिण की संयुक्त कार्यवाही के तहत मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण ऑयल मिल, टिगरिया रोड़, चाकसू पहुँचे जहॉ पर फर्म के श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता उपस्थित मिले। उनको अपना परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मनोज गुप्ता ने स्वयं को मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण ऑयल मिल, टिगरिया रोड़, चाकसू का खाद्य कारोबारी होना बताया। पुलिस दल थाना चाकसू द्वारा रोके गये टैंकर में भरे ऑयल को पुलिस दल द्वारा मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण ऑयल मिल, टिगरिया रोड़, चाकसू स्थित परिसर में रखे लोहे के 25 ड्रमों (प्रत्येक 200 लीटर) में खाली करवाया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्त्ता में

इस ऑयल को अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल होना बताया एवं परिष्कृत कर आम जनता को विक्रय किया जाना बताया परन्तु कारोबार परिसर में राईस ब्रान ऑयल को परिष्कृत किये जाने की कोई मशीनरी एवं अन्य व्यवस्था आदि नही पाई गई। ऐसी स्थिति में अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल में से गुणवता जांच हेतु 1600 ग्राम अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल वास्ते नमूना रू0 96/– नगद देकर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 1600 अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल को 4 खाली व सूखी कांच की बोतलो में बराबर–बराबर डालकर चारों शीशियों पर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया गया तथा प्रत्येक शीशियों पर लेबल चिपकायें गए एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर (द्वितीय) के कोड एवं क्रमांक AN–1015 दर्ज किये गये। जांच हेतु क्रय किये गये राईस ब्रॉण्ड ऑयल को जांच कराये जाने पर नमूना राईस ब्रान ऑयल को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2438/एक्ट/2015/1968 दिनांक 23.11.2015 एवं अडैण्डम संख्या एफएसएसए/2016/3085 दिनांक 28.09.2016 में नमूना जांच को अपरिष्कृत होना एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव) रेगूलेशन, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिष्कृत होने के पश्चात् उपभोग योग्य होना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपरिष्कृत राईस ब्राण्ड ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, अप्रार्थीगण को निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार आलोक टांक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वा.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है, आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/

(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 द्वारा कार्यालय के अधीन कार्यक्षेत्र आंवटित किया गया है। प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आंवटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 11.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के साथ मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण ऑयल मिल, टिगरिया रोड़, चाकसू स्थित विक्रय स्थल पर पहुँचे। जहॉ पर फर्म के श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता उपस्थित मिले। निरीक्षण करने पुलिस दल थाना चाकसू द्वारा रोके गए टैंकर में भरे ऑयल को पुलिस दल द्वारा मैसर्स लक्ष्मीनारायण गोविन्द नारायण ऑयल मिल, टिगरिया रोड़, चाकसू स्थित परिसर में रखे लोहे के 25 ड्रमों (प्रत्येक 200 लीटर) में खाली करवाया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्त्ता ने इस ऑयल को अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल होना बताया एवं परिष्कृत कर आम जनता को विक्रय किया जाना बताया परन्तु कारोबार परिसर में राईस ब्रान ऑयल को परिष्कृत किये जाने की कोई मशीनरी एवं अन्य व्यवस्था आदि नही पाई गई। ऐसी स्थिति में अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल में से गुणवता जांच हेतु 1600 ग्राम अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल वास्ते नमूना रू0 96/– नगद देकर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 1600 अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल को 4 खाली व सूखी कांच की बोतलो में बराबर–बराबर डालकर चारों शीशियों पर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया गया तथा प्रत्येक शीशियों पर लेबल चिपकायें गए एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर (द्वितीय) के कोड एवं क्रमांक AN–1015 दर्ज किये गये और मौके पर प्रारूप 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मौके पर ही श्री मनोज गुप्ता ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है जो प्रारूप 5ए एवं फर्द मौका पर दर्ज है। मौके पर ही प्रारूप 5ए की एक प्रति अप्रार्थी को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अप्रार्थी मनोज गुप्ता के अंकित है। प्राप्ति रसीद पर 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है, मौके पर ही अप्रार्थी एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर

हस्ताक्षर किये है। मौके पर इसकी एक प्रति अप्रार्थी को दी गई है, जिसके प्राप्ति हस्ताक्षर अप्रार्थी के मौजूद है। प्रार्थी ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। जांच हेतु क्रय किये गये राईस ब्रान ऑयल को जांच कराये जाने पर नमूना राईस ब्रान ऑयल को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस/2438/एक्ट/2015/1968 दिनांक 23.11.2015 एवं अडैण्डम संख्या एफएसएसए/2016/3085 दिनांक 28.09.2016 में नमूना जांच को अपरिष्कृत होना एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव) रेगूलेशन, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिष्कृत होने के पश्चात् उपभोग योग्य होना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, अप्रार्थीगण को निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री मनीष शर्मा का कथन है कि पूरा प्रकरण कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अपरिष्कृत ब्रान ऑयल न तो बेचा गया हैं, और न ही अप्रार्थी द्वारा बेचा जाता हैं। श्री मनोज गुप्ता से 1600 अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल प्राप्त कर रूपये 96/– विक्रय राशि प्राप्त किये जाने का कथन किया गया है जो गलत है। मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। खाली कागजों पर प्रार्थी द्वारा मौके पर हस्ताक्षर यह कह कर कराये गये थे कि निरीक्षण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जानी हैं, जिसमें केवल मौके पर दुकान पर होने के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी द्वारा बाद में बदनियति से समस्त कार्यवाही की जाकर झूठे तथ्यों के आधार पर स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर से अप्रार्थी द्वारा 1600 ग्राम विक्रय करना बताते हुऐ अपरिष्कृत ब्रान ऑयल की रिपोर्ट प्राप्त कर ली। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से अपरिष्कृत ब्रान ऑयल किसी को विक्रय नही किया गया है और न ही ऐसा ऑयल विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.09.2015 को एक ही विभाग द्वारा एक ही कारोबार स्थल पर एवं एक ही फर्म मालिक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष पूर्व में दो परिवाद प्रस्तुत किये गये है जो प्रकरण संख्या 01/2016 व 02/2016 दर्ज होकर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा निर्णित किये गये है जिनमें 10–10 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गई है जिसके सम्बन्ध में मुख्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कार्यालय में बार–बार जाने के बावजूद भी शास्ति राशि जमा नही की गई है। इसके विपरित एक यह नया परिवाद पूर्व के कृत्य व निर्णित प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। दिनांक 11.09.2015 को की गई जांच के सम्बन्ध में विभाग द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जाकर न्यायनिर्णयन अधिकारी से अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णय प्राप्त किया जा चुका है। अब पुनः प्रस्तुत किया गया है जो अवैधानिक है। एक ही दिन एक ही समय एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नही किया जा सकता। विक्रय किये गये नमूने में कोई मिलावट नही पाई गई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 58 सपठित उपधारा 49 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006) निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव) रेगूलेशन, 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 58 सपठित उपधारा 49 के अन्तर्गत अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वा.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 की प्रति ।
2. आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दि0 01.02.2012 की प्रति जिसके द्वारा कार्यालय के अधीन कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया है।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.9.2015 को नमूने के लिऐ क्रय किये 1600 ग्राम ब्रान ऑयल के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 11.9.2015 को दिये गऐ कैश–मीमों दिनांक 11.9.2015 की प्रति जिस पर स्वयं विक्रेता के हस्ताक्षर है।

4. नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गऐ प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता मनोज गुप्ता के हस्ताक्षर है ।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता मनोज गुप्ता के हस्ताक्षर है।
6. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अपरिष्कृत होना तथा इसे परिष्कृत किये जाने के पश्चात् ही उपभोग में लिया जाना अंकित है।
7. खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक एफएसएसए/2016/3085 दिनांक 28.09.2016 जिसमें नमूना अपरिष्कृत होना और इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव) रेगूलेशन, 2011 के प्रावधानों का उल्लंधन होना अंकित किया है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के कथन का खण्डन तो किया गया है किन्तु अपने कथन को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे है। जॉच हेतु लिये गऐ नमूने की खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 एवं 28.09.2016 में नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव) रेगूलेशन, 2011 के प्रावधानों का उल्लंधन होना अंकित किया है। इस रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 एवं 28.09.2016 पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नही है। अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक के इस कथन में भी कोई सार नही पाते है कि एक ही दिनांक को एक स्थान पर किये गये निरीक्षण पर पाये गये उल्लंधन के सम्बन्ध में पूर्व में शास्ति आरोपित की जा चुकी है। हमारी राय में पूर्व में जो शास्ति आरोपित की गई है वह सब–स्टेण्डर्ड तेल के विक्रय/निर्माण करने पर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत दी गई है जबकि राईस ब्रान ऑयल को बिना परिष्कृत किये व मौके पर परिष्कृत किये जाने की कोई मशीनरी/यंत्र वगैराह न पाये जाने से खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव)

रेगूलेशन, 2011 के प्रावधानो का उल्लंधन होना अंकित किया है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि मौके पर पाये गये राईस ब्रान ऑयल में से विक्रय किया गया 1600 ग्राम अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल जो विक्रय किया गया है उससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडीटिव) रेगूलेशन, 2011 के प्रावधानों का उल्लघन किया है । पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थीगण द्वारा अपरिष्कृत राईस ब्रान ऑयल का बार–बार विक्रय किया गया है अथवा पूर्व में विक्रय किया गया हो और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पूर्व में शास्ति से दण्डित किया गया हो। अतः विचारण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम अप्रार्थीगण के कृत्य के लिए राशि रूपये 10,000/–(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर